



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2005/माघ 27, 1926

No. 63]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2005/MAGHA 27, 1926

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

सा.का.नि. 76(अ) — भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 28 जनवरी, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 44(अ) तारीख 27 जनवरी, 2005 में पृष्ठ 2 पंक्ति 9 और 10 में "पहले एक मास की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान में "एक मास के पहले" शब्द पढ़ें।

प्रमोद कुमार, कार्यपालक निदेशक  
सिविल इंजीनियरी (सा.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th February, 2005

G.S.R. 76(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Railways number G.S.R. 44(E), dated the 27th January, 2005 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 28th January, 2005 at page 4, in line 31, for "within a period of one month" read "one month".

PARMOD KUMAR, Executive Director  
Civil Engg. (G)